अक्सर पूछे जाने चाले सवाल
काम की जगह पर धूम्रपान के बारे में एचएसई की सलाह क्या है ?
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS WHAT IS HSE'S ADVICE ON SMOKING AT WORK?)

ग्रेट ब्रिटेन में सार्वजनिक जगहों और काम के स्थानों पर धूम्रपान को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले की तरह निपटाया जाता है। इंग्लैंड में डिपार्टमेंट ऑफ़ हैल्थ इससे निपटने का नेतृत्व करती है, वेल्स में यह काम वैल्श असैंबली की सरकार का है और स्कॉटलैंड में स्कॉटिश ऐग्ज़ेक्यूटिव का। हालत इस प्रकार है :

स्कॉटलैंड

26 मार्च 2006 को स्कॉटलैंड में धूम्रपान का कानून बदल जायेगा। कुछ बहुत ही सीमित जगहों को छोड़, सार्वजनिक और काम के स्थान, धूम्रपान से मुक्त हो जायेंगे। बिज़नेस के लिये प्रयोग होने वाली गाड़ियाँ भी नये कानून से प्रभावित होंगी। इनमें हल्की और सामान लाने- ले जाने वाली भारी गाड़ियाँ और सार्वजनिक गाड़ियाँ भी शामिल होंगी जैसे कि टैक्सी, बसें, ट्रेन और पानी पर चलने वाली नौका। लेकिन, सभी कारें शामिल नहीं होंगी।

बिज़नेसों के लिये कानून पालन करने के बारे में मार्गनिर्देश के साथ, नये कानून के बारे में सलाह और सूचना के लिये आप यह वैबसाइट देख सकते हैं www.clearingtheairscotland.com चाहें तो आप स्कॉटिश ऐग्ज़ेक्यूटिव की टबैको कंट्रोल टीम से भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं :

Scottish Executive Health Department
Tobacco Control Division
St Andrew's House
Edinburgh
EH1 3DG
टेलिफ़ोन : 0131 244 5660
ई-मेल : info@clearingtheairscotland.com

हैल्थ ऐंड सेफ़्टी के कानून के मुताबिक, नियोजकों के लिये यह ज़रूरी बना रहेगा कि धूम्रपान से मुक्त जगहों में जहां छूट मिली है, ऐसे स्थानों में वे अपने कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा को दूसरे लोगों के धूम्रपान से पैदा होने वाले खतरों को उस हद तक घटाते दें, जितना उनके लिये व्यावहारिक रूप से संभव हो सकेगा। धूम्रपान की नीतियों के बारे में द स्मोक-फ़्री स्कॉटलैंड गायडैंस यानी मार्गनिर्देश में एनएचएस, लोकल अथॉरिटीज़ और कैअर यानी देखभाल प्रदान करने वालों के लिये आदेशों का पालन करने के बारे में उपयोगी सलाह है। इसे यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है www.scotland.gov.uk/Resource/doc/47121/0020880.pdf या ऊपर लिखे पते से मंगाया जा सकता है।

इंग्लैंड और वेल्स

2007 के गरमी के मौसम से, कुछ सीमित जगहों को छोड़कर, इंग्लैंड के सभी सार्वजनिक जगहों और काम के स्थानों में धूम्रपान नहीं हो सकेगा। हैल्थ बिल के मुताबिक, इस मामले में वैल्श असैंब्ली को नियम बनाने का

अधिकार मिल गया है। हैल्थ बिल माहारानी द्वारा स्वाकार किये जाने के बाद, असैम्ब्ली गवर्मेंट, ड्राफ़्ट रैग्युलेशंज़ पर विचार–विमर्श करेगी। पिछले साल असैम्ब्ली के मंत्रियों द्वारा निर्धारित नीति, उसी के समान है जिसे इंग्लैंड और वेल्स में प्रस्तावित किया गया था।

धूम्रपान से मुक्त कानून आने के बाद भी, कर्मचारियों को दूसरों के धूम्रपान से बचाने की एचएसई की सलाह पहले जैसी ही है कि :

- नियोजकों की काम की जगह पर धूम्रपान के बारे में एक खास नीति होनी चाहिये।
- नियोजकों को अपने कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा को दूसरे लोगों के धूम्रपान से पैदा होने वाले खतरों को उस हद तक घटाने की कोशिश करनी चाहिये जितना उनके लिये व्यावहारिक रूप से संभव है।
- धूम्रपान की नीति को, धूम्रपान न करने वालों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिये जो कि तमबाकू का धुआँ अपने अंदर खींचना नहीं चाहते हैं।
- नियोजकों को अपने काम की जगह के लिये उचित धूम्रपान की नीति तैयार करने के लिये अपने कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिये।

अगर आपको धूम्रपान के बारे में अधिक जानकारी की ज़रूरत है, तो कृपया डिपार्टमेंट ऑफ़ हैल्थ के कस्टमर सर्विस सैंटर से संपर्क करने के लिये यह नंबर डायल कीजिये 020 7210 4850, या इस वैबसाइट पर जाइये :
http://www.dh.gov.uk/PolicyAndGuidance/HealthAndSocialCareTopics/Tobacco/fs/en